जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

89/2016

A3

**मुन्तकिली प्रकरण सं0 89/2016 अनवानी श्री अमरदीप सिंह पुत्र श्री बलराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव रामगढ़ संगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1– श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी गांव रामगढ़ संगर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर 2–तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**15.11.2016**

प्रार्थी श्री अमरदीप सिंह के अभिभाषक श्री दलबार सिंह बराड़ उपस्थित है। अप्रार्थी श्री शिवराज सिंह के अभिभाषक श्री राजवीर सिंह उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी श्री शिवराज सिंह के अभिभाषक श्री राजवीर सिंह का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर में लम्बित वाद संख्या 10/2015 अनवानी शिवराज सिंह बनाम अमरदीप सिंह व हर आम व खास में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर का पद रिक्त होने के कारण उनका चार्ज नायब तहसीलदार के पास था और अब चूंकि तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर का पदस्थापन हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर में लम्बित वाद संख्या 10/2015 अनवानी शिवराज सिंह बनाम अमरदीप सिंह व हर आम व खास में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर का पद रिक्त होने के कारण उनका चार्ज नायब तहसीलदार के पास था और अब चूंकि तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर का पदस्थापन हो गया है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

1566
19-11-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 15.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ज्ञाना राम )

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर